



पत्रांक: 18/परि0प्र0 (ए-2)/पी0आई0यू0जे0/2026-27,

दिनांक: 16/04/2026,


अल्पकालीन नीलामी सूचना संख्या:-01/परि0प्र0 ए-2)/पी0आई0यू0जे0/2026-27,

जनपद नैनीताल के हल्द्वानी विकास खण्ड के अन्तर्गत जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र की पाहा पोषक नहर का जीर्णोद्धार कार्य प्रगति पर है, जिसके अन्तर्गत पाहा पोषक नहर के (तेल डिपो रेल पट्टी से कार रोड सेन्चुरी पेपर मिल तक) के मध्य विभिन्न प्रजाति के पेड़ों की नीलामी हेतु इच्छुक बोलीदाताओं से आवेदन दिनांक 23.04.2026 की अपराह्न 2:00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। नीलामी संबंधी बोलियां उसी दिन अपराह्न 3:00 बजे बोलीदाताओं द्वारा समिति के समक्ष बोली जाएगी। नीलामी से सम्बन्धित विवरण निम्नानुसार है:-

क्र० सं०	कार्य का नाम	नीलामी हेतु वृक्ष		दस्तावेज जमा करने की अन्तिम तिथि	नीलामी की तिथि व समय	नीलामी दस्तावेज का शुल्क 18 प्रतिशत जी०एस०टी० सहित (रु० में)	जमानत धनराशि जी०एस०टी० रहित (रु० में)
		प्रजाति	संख्या				
01	जनपद नैनीताल के हल्द्वानी विकास खण्ड के अन्तर्गत जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र की पाहा पोषक नहर के (तेल डिपो रेल पट्टी से कार रोड सेन्चुरी पेपर मिल तक) के मध्य पेड़ों की नीलामी।	1.कन्जू 2.नीम 3.पेपर मलबरी 4.रोहिणी 5.यूकेलिप्टस	12 2 2 1 3	दिनांक 23.04.2026 समय अपराह्न 2:00 बजे	दिनांक 23.04.2026 समय अपराह्न 3:00 बजे	590/-	6,500.00/-
		कुल	20				

नीलामी से सम्बन्धित नियम व शर्तें अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय व वेबसाईट (www.jamranidam.com) पर देखी जा सकती है।

नोट:- भविष्य में इस नीलामी से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का शुद्धिपत्र समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाशित नहीं किया जाएगा। अतः अद्यतन जानकारी और संशोधनों के लिए नियमित रूप से विभागीय वेबसाईट (www.jamranidam.com) का अवलोकन करें।


16.4.26
परियोजना प्रबन्धक (ए-2)
पी0आई0यू0 जमरानी



पत्रांक:- /१ / परि0प्र0 (ए-2) पी0आई0यू0जे0/नीलामी/ 2026-27,

दिनांक:- 16/04/2026,


सेवा में,

प्रबन्धक मीडिया गुरु,
नियर-गल्ला मण्डी गेट, सुभाष कॉलोनी,
रुद्रपुर, उधमसिंह नगर।

विषय:- विज्ञप्ति प्रकाशन के सम्बन्ध में।
महोदय,


कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय द्वारा विज्ञप्ति सूचना को संलग्न प्रारूपानुसार इस आशय से प्रेषित है कि इस विज्ञप्ति सूचना को किन्ही दो दैनिक समाचार पत्रों के कुमाऊ संस्करण में न्यूनतम आकार व शासकीय दरों पर प्रकाशित करने का कष्ट करें। तथा बीजक दो प्रतियों में जिला सूचना अधिकारी द्वारा सत्यापित कर संलग्न इस कार्यालय को भुगतान हेतु प्रेषित करें।


संलग्नक:- अल्पकालीन नीलामी सूचना।


परियोजना प्रबन्धक (ए-2)
पी0आई0यू0 जमरानी, हल्द्वानी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को नीलामी सूचना की एक प्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित:-

1. महाप्रबन्धक, पी0आई0यू0 जमरानी, हल्द्वानी।
2. उपमहाप्रबन्धक-03 पी0आई0यू0जमरानी, हल्द्वानी।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
4. प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, वन विकास निगम हल्द्वानी।
5. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी।
6. परियोजना प्रबन्धक (सी0 सी0 सी0), वेब साईट पर अपलोड करने सम्बन्धी।
7. उपराजस्व अधिकारी, पी0आई0यू0 जमरानी, हल्द्वानी।
8. उपजिलाधिकारी, हल्द्वानी, नैनीताल।
9. उपप्रभागीय वनाधिकारी, गौला।
10. खण्ड विकास अधिकारी, हल्द्वानी, नैनीताल।
11. श्री हिमांशु काण्डपाल, सहा0परि0प्र0, पी0आई0यू0 जमरानी, हल्द्वानी।
12. वन क्षेत्राधिकारी, गौला रेन्ज, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी को इस इस आशय के साथ प्रेषित है कि प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी के पत्र संख्या: 5132/23-3, दिनांक: 11.03.2026 में अंकित वृक्षों के छपान एवं पातन सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
13. जिलेदार, पी0आई0यू0जमरानी, हल्द्वानी।
14. श्री नीरज मिश्रा, क्षेत्रीय अभियन्ता पी0आई0यू0 जमरानी, हल्द्वानी।
15. नोटिस बोर्ड।


परियोजना प्रबन्धक (ए-2)
पी0आई0यू0 जमरानी, हल्द्वानी






नियम एवं शर्तें:-

अल्पकालीन नीलामी सूचना संख्या-01/परि0प्र0 ए-2)/पी0आई0यू0जे0/2026-27,
दिनांक:- 16.04.2026,

1. नीलामी प्रक्रिया नियत तिथि व समय पर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में नीलामी समिति द्वारा निष्पादित की जाएगी।
2. नीलामी में वही व्यक्ति/फर्म प्रतिभाग कर सकेंगे जिनके द्वारा नीलामी दस्तावेज प्राप्त कर उसको निर्धारित तिथि व समय तक कार्यालय में (जमानत धनराशि के साथ) जमा कर दिया है। जमानत धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी FDR के रूप में देय होगी जो महाप्रबन्धक पी0आई0यू0 जमरानी के पदनाम से बंधक होगी।
3. नीलामी दस्तावेज अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से कार्यालय समय में नियत शुल्क जमा कर प्राप्त किया जा सकता है।
4. नीलामी दस्तावेज का शुल्क रु0 590/- डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में (दो डिमान्ड ड्राफ्ट रु0 500/- एवं रु0 90/-) महाप्रबन्धक पी0आई0यू0 जमरानी के पदनाम से देय होगा।
5. उपरोक्त वृक्षों (पेड़ों) की नीलामी जैसा है वैसी स्थिति में नीलाम किया जाना है।
6. नीलामी के पश्चात सम्बंधित व्यक्ति को 30 दिवस के भीतर वृक्ष उठाना आवश्यक है। ऐसा न करने पर नीलामी निरस्त करते हुए पेड़ों को जब्त कर लिया जायेगा।
7. वृक्षों (पेड़ों) का आरक्षित मूल्य रु0 64,515.00 (जी0एस0टी0 रहित) मात्र है। रु0 64,515.00.00 से सबसे अधिक बोली लगाने वाले बोलीदाता को सफल घोषित किया जाएगा। सफल बोलीदाता द्वारा लगाई गई बोली का मूल्य व 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित (महाप्रबन्धक पी0आई0यू0 जमरानी के पदनाम से डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में) एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा किया जाना होगा। जिसके उपरान्त ही सफल बोलीदाता के नाम नीलामी आदेश निर्गत होगा।
8. जिस व्यक्ति/फर्म के नाम पर नीलामी जारी होगी उसकी जमानत धनराशि वृक्ष उठाने के 1 सप्ताह के पश्चात वापस की जाएगी व शेष व्यक्ति/फर्म की जमानत धनराशि नीलामी दिवस के तीन दिन के भीतर लौटा दी जाएगी।
9. नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक बोलीदाता नीलामी में भाग लेने से पूर्व स्थल पर नीलाम होने वाले पेड़ों का भली भांति निरीक्षण कर लें। बाद में कोई क्लेम अथवा वाद स्वीकार नहीं होगा।
10. ऐसे ठेकेदार जिन पर सिंचाई विभाग का पूर्व का धन शेष है या उनके विरुद्ध कोई वाद दायर किया हो या अन्य किसी कारणवश विभाग द्वारा डिफाल्टर घोषित किया गया हो, उनको नीलामी में बोली लगाने का कोई अधिकार नहीं होगा।
11. नीलामी स्वीकार होने के पश्चात पेड़ों की रखवाली स्वयं ठेकेदार को करनी होगी। नीलाम हुए पेड़ों की चोरी होने पर ठेकेदार का कोई भी क्लेम, दावा स्वीकार नहीं होगा। किसी भी स्थिति के लिए बोलीदाता स्वयं उत्तरदायी होगा।
12. पेड़ों की जड़ों की खुदाई स्वयं ठेकेदार को करनी होगी।
13. पेड़ों के पातन सम्बन्धी अनुमति प्राप्त की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त पेड़ों की निकासी/अन्य औपचारिकताएँ/कार्यवाही बोलीदाता को स्वयं अपने स्तर पर पूरी करानी होगी।
14. बोलीदाता को नीलामी स्थल पर प्रवेश हेतु पहचान पत्र (आधार कार्ड) लाना अनिवार्य है। बिना पहचान पत्र के किसी भी व्यक्ति को नीलामी स्थल पर प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा।
15. नीलामी हेतु ठेकेदार स्वयं उपस्थित हों या अपने प्रतिनिधि को अधिकृत शपथ पत्र के साथ भेजें।
16. नीलामी के दिवस पर अवकाश होने की स्थिति में नीलामी प्रक्रिया अगले कार्य दिवस पर की जाएगी।
17. सशर्त नीलामी पर विचार नहीं किया जायेगा।
18. अधोहस्ताक्षरी को बिना किसी कारण बताये इस नीलामी को प्रत्येक स्तर पर निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है।
19. नीलामी में भाग लेने हेतु केवल बोलीदाता/उनके अधिकृत प्रतिनिधि को ही नीलामी स्थान में प्रवेश करने दिया जायेगा।
20. भविष्य में इस प्रकार की नीलामी सम्बन्धी सभी जानकारियाँ वेबसाइट के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
21. अधिक जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरी/उप राजस्व अधिकारी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।


परियोजना प्रबंधक ए-2,
पी0आई0यू0 जमरानी,